उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल।
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 129 वर्ष 2022

तरूण साह ..... प्रार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य ..... उत्तरदाता

उपस्थितः–

प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री एम0एस0 पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ललित मिगलानी, सहायक अधिवक्ता।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री ललित मिगलानी, ए0जी0ए0, सुश्री सोनिका खुल्बे सहायक अधिवक्ता।

पीड़िता की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री सी0के0 शर्मा।

माननीय रविन्द्र मैठाणी, जे0 (मौखिक)

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी तरूण साह द्वारा पुलिस थाना मुखानी, जिला नैनीताल में पंजीकृत मु0अ0सं0–105/2022 अंतर्गत धारा 376 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत की याचना की गयी।

2. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

3. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में जब पीड़िता का पति अस्वस्थ था, प्रार्थी द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये। उसके बाद भी कई बार प्रार्थी द्वारा पीड़िता का शोषण किया गया एवं पीड़िता को धमकाया गया। पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म दिये जाने के पश्चात् भी प्रार्थी द्वारा उसे पुनः प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पास एक पिस्टल भी है। प्रार्थी ने कुछ समय पहले से पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था एवं जान से मारने की धमकी भी दी थी। दिनांक 26.04.2022 को इस घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

4. अंतरिम अग्रिम जमानत को पहली बार दिनांक 29.06.2022 को सुना

गया। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुलग्नक–1 में पीड़िता के जन्म का वर्ष 1986 दर्ज है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह गलत है, क्योंकि पीड़िता द्वारा अपने जवाबी हलफनामें में अपनी उम्र 26 वर्ष बतायी गयी है। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में दिनांक 29.06.2022 को अंतरिम आदेश भी पारित किया गया था।

5. प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट थानाध्यक्ष मुखानी, दीपक बिष्ट के साथ षडयंत्र कर सोच–समझकर एवं तथ्यों के साथ छेड़–छाड़ करने के बाद दर्ज करायी गयी है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये गयेः–

(1) दिनांक 24.04.2022 को पीड़िता ने थानाध्यक्ष मुखानी को रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में बलात्कार का कोई आरोप नहीं था।

(2) यदि प्रार्थी द्वारा पीड़िता के साथ वर्ष 2018 में जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये थे तो पीड़िता ने यह बात अपने पति को क्यों नहीं बतायी ?

(3) दिनांक 24.04.2022 को दीपक बिष्ट, थानाध्यक्ष मुखानी द्वारा प्रार्थी को फोन कर सूचित किया गया कि उसके विरूद्ध धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है। उनके मध्य हुयी बातचीत का संवाद न्यायालय के संदर्भ हेतु दिनांक 21.07.2022 को पूरक शपथ पत्र के माध्यम से प्रार्थी द्वारा दाखिल किया गया है।

(4) पीड़िता द्वारा स्वयं भी अपने और थानाध्यक्ष मुखानी दीपक बिष्ट के मध्य हुए बातचीत का संवाद प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शित होता है कि वास्तव में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट एक षडयंत्र के तहत दर्ज की गयी। न्यायालय के संदर्भ हेतु उक्त बातचीत का संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें दीपक बिष्ट पीड़िता से प्रार्थी को गिरफ्तार करने हेतु पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात कह रहा था।

(5) प्रार्थी, पीड़िता के बच्चे का डी0एन0ए0 जांच कराने को भी तैयार है, क्योंकि इस कारण बच्चे का भविष्य भी दांव पर है।

(6) प्रार्थी द्वारा स्वयं पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर प्रस्तुत मामले की विवेचना मामले की सत्यता लाने हेतु सी0बी0सी0आई0डी0 को स्थानांतरित करने को कहा गया है।

(7) जब प्राथमिकी दर्ज की गयी तो प्रार्थी द्वारा न्यायालय से सुरक्षा मांगी

गयी एवं उसके बाद अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

6. प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अंसार मौहम्मद बनाम राजस्थान राज्य एवं आदि, 2022 एस0सी0सी0 ऑनलाईन (एस0सी0) 886 में पारित न्याय सिद्धांतों का हवाला दिया गया।

7. अंसार मौहम्मद (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि पीड़िता प्रार्थी के साथ रह रही थी। जब उनके रिश्ते में अनबन होने लगी तो पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी। उस मामले में जमानत प्रदान की गयी थी।

8. इसके विपरीत दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी की गिरफ्तारी आवश्यक है, क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वह साक्ष्यों के साथ छेड़–छाड़ कर रहा है, उसकी पिस्टल को भी कब्जे में लिया जाना है।

9. पीड़िता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पीड़िता द्वारा अपने धारा 161 एवं धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बयानों में भी प्रार्थी द्वारा कारित अपराध के बारे में बताया गया है।

10. जमानत अपने आप में दो परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करती है–व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एवं सामाजिक हित। वास्तव में अग्रिम जमानत कुछ हद तक जांच के क्षेत्र में घुसपैठ करती है। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि संज्ञेय मामलों में भी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। गिरफ्तार करने की शक्ति एक अलग बात है एवं गिरफ्तारी करने की आवश्यकता एक अलग बात है। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि संज्ञेय मामलों में भी गिरफ्तार करने से पहले विवेचनाधिकारी को यह बताना होगा कि अभियुक्त मामले में किस प्रकार से शामिल है एवं उसकी गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है।

11. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम जमानत एक सुरक्षा है। निःसंदेह गिरफ्तारी अपने साथ कईं दुष्प्रभावों को लाती है, जैसे कि आजादी की कटौती, जो सामान्यतः गरफ्तार किये गये व्यक्ति को पीड़ा, अपमान, बदनामी आदि कारित करती है। जैसा कि गुरूबक्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस0सी0सी0 565 में अभिनिर्धारित किया गया कि अग्रिम जमानत पुलिस अभिरक्षा के विरूद्ध बीमा है। गुरूबक्श सिंह सिब्बिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि ''**अग्रिम जमानत का आदेश आरोपों की गिरफ्तारी के आदेश के विरूद्ध एवं पुलिस**

अभिरक्षा के विरूद्ध बीमा है। अन्य शब्दों में गिरफ्तारी के बाद जमानत आदेश से भिन्न यह गिरफ्तारी से पूर्व की कानूनी प्रक्रिया है, जो जिस व्यक्ति के पक्ष में यदि जारी की जाये तो उसे यदि उस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जायेगा।''

12. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कईं निर्णयों में बताये गये कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं आदि (2011) एस0सी0सी0 694 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन कारकों की एक सूची दी है, जिन्हें अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहां तक कि सुशीला अग्रवाल बनाम राज्य (एन0सी0टी0 दिल्ली) 2020 एस0सी0सी0 ऑनलाईन एस0सी0 98 में भी उक्त निर्णय का हवाला दिया गया है। सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे में पारित निर्णय के प्रस्तर संख्या 112 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि –

112. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय निम्नलिखित कारकों एवं मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(1) आरोप की प्रकृति और गंभीरता एवं गिरफ्तारी से पहले मामले में आरोपी की सटीक भूमिका को गहनतापूर्वक समझना चाहिए।

(2) प्रार्थी का पूर्व आचारण एवं क्या अभियुक्त किसी संज्ञेय अपराध में पूर्व में दोषसिद्धि पर कारावास में रहा है ?

(3) प्रार्थी की न्याय से भागने की संभावना,

(4) आरोपी द्वारा समान या अन्य अपराधों को दोहराने की संभावना,

(5) जहां आरोप केवल आरोपी को गिरफ्तार करके उसे चोट पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाया गया हो,

(6) अग्रिम जमानत के प्रभाव खासकर बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हैं,

(7) न्यायालयों को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए। न्यायालय को मामले में आरोपी की सटीक भूमिका को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। जहां आरोपी को दण्ड संहिता 1860 की धाराओं 34 और 149 की सहायता से आरोपित किया गया है वहां पर न्यायालय को सामान्य ज्ञान एवं तथ्य परिस्थिति के अनुसार बड़ी सर्तकता और सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि इन मामलों में अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता की

आवश्यकता है,

(8) अग्रिम जमानत के अनुरोध को मंजूर करते समय दो कारकों के बीच एक संतुलन स्थापित करना होगा, प्रथम– निष्पक्ष जांच भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए एवं अभियुक्त के साथ भी तंग, अपमानित और अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए,

(9) न्यायालय को साक्षियों के साथ छेड़छाड़ का या वादी को धमकी देने सम्बन्धी तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए,

(10) अभियोजन की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए एवं जमानत प्रदान करते समय यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि अभियोजन की कार्यशैली में संदेह होने पर मामले में सामान्यतः आरोपी जमानत का हकदार होता है।

13. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना होगा, परंतु अपराध की निष्पक्ष, युक्ति संगत एवं दवाब रहित जांच होनी चाहिए। अपराध की गंभीरता के अतिरिक्त अभियुक्त की स्पष्ट भूमिका, साक्ष्यों के साथ छेड़–छाड़ की सम्भावना, गवाहों और परिवादी को धमकी देने की सम्भावना इत्यादि महत्वपूर्ण पहलू हैं जो अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करने के दौरान ध्यान में रखने चाहिए।

14. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवायी के दौरान पीड़िता द्वारा उपस्थित होकर जवाबी हफलनामा प्रस्तुत कर कहा गया कि उसे प्रार्थी द्वारा लगातार धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गयी, जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गयी पुलिस द्वारा भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। थानाध्य क्ष मुखानी दीपक बिष्ट द्वारा उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं पांच लाख रूपयों की मांग की गयी। पीड़िता द्वारा उक्त बातचीत को रिकॉर्ड किया गया एवं मामले की पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड को रिपोर्ट की गयी। जब न्यायालय द्वारा शासकीय अधिवक्ता से इस सम्बंध में पूछा गया तो न्यायालय के संज्ञान में आया कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष पूर्व में ही निलम्बित किया जा चुका है एवं उसके विरूद्ध प्रारम्भिक जांच के उपरांत, जिसमें यह पाया गया कि दिनांक 24.04.2022 की रिपोर्ट होने के बावजूद भी थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

15. अपने जवाबी हलफनामें में पीड़िता द्वारा कहा गया कि उसके पति किडनी के रोगी है व डायलिसिस पर थे। दिनांक 19.04.2018 को पहली बार प्रार्थी द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया एवं उसके बाद लगातार

धमकी और ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाये। उसके द्वारा यह बात अपने पति को नहीं बतायी गयी, क्योंकि उसके पति बीमार थे और वह अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रार्थी द्वारा उसका उत्पीड़न और उसे ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता द्वारा अपने जवाबी हलफनामें के प्रस्तर संख्या 10 में कहा गया कि जब ब्लैकमेलिंग उसके नियंत्रण से बाहर हो गयी तो उसने यह सारी बातें प्रार्थी की पत्नी को बतायी, परंतु उसके बाद भी उसे धमकियां मिलती रही। पीड़िता के अनुसार दिनांक 20.04.2022 को प्रार्थी द्वारा अपनी पिस्टल दिखाकर पीड़िता का पीछा किया गया और उसे धमकियां दी गयी।

16. पीड़िता के अनुसार दिनांक 23.04.2022 को प्रार्थी एवं उसकी पत्नी एवं हेमंत कुमार पीड़िता के आवास पर आकर शोर मचाने लगे एवं जाते–जाते पीड़िता को धमकी दे गये और पीड़िता के घर का गेट और लोहे की रेलिंग तोड़ गये। यह सम्पूर्ण घटना सी0सी0टी0वी0 में रिकॉर्ड हुयी। इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं घटना की सी0सी0टी0वी0 फुटेज भी पुलिस को दी गयी, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी।

17. दिनांक 23.04.2022 की घटना के बाद पीड़िता ने पूरा मामला अपने पति को बताया उसके पति द्वारा उसे आश्वस्त किया गया जिसके बाद वह बड़ी हिम्मत करके पुलिस थाने गयी और दिनांक 24.04.2022 को प्रार्थी के विरूद्ध बलात्कार इत्यादि की दूसरी रिपोर्ट दर्ज करायी। पीड़िता के अनुसार वह भी दर्ज नहीं हुयी, जिसके बाद वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गयी।

18. अपने जवाबी हलफनामें द्वारा पीड़िता द्वारा संलग्क–5 के रूप में पुलिस महानिदेशक को दिया गया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उस रिपोर्ट में पीड़िता द्वारा लिखा गया था कि जब दिनांक 24.04.2022 को उसके द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट दी गयी तो प्रार्थी की सास जो कि एक राजनैतिक पार्टी से सम्बंध रखती है एवं अन्य लोग पुलिस थाने आये और पीड़िता पर राजीनामें की बात कहकर प्रथम सूचना रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहे थे। वह रात 10:30 बजे तक थाने में बैठी रही। दिनांक 26.04.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। पीड़िता के अनुसार उसे अभी भी धमकाया जा रहा है।

19. जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, उस समय प्रार्थी को गिरफ्तार नहीं किया गया था एवं थानाध्यक्ष मुखानी दीपक बिष्ट द्वारा प्रार्थी की गिरफ्तारी हेतु पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बनाने एवं पांच लाख रूपयों की मांग

की जा रही थी। पीड़िता द्वारा दिनांक 25.05.2022 को पुलिस महानिदेशक को भी यह लिखा गया था कि प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है।

20. प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध बलात्कार, ब्लैकमेलिंग एवं धमकी के आरोप लगाये गये हैं। पीड़िता द्वारा कहा गया कि उसका पति बिस्तर पर था, बीमार था वह एक गंभीर किडनी रोगी है जो कि डायलिसिस पर है। प्रार्थी, पीड़िता के पति का दोस्त है। पीड़िता द्वारा वह तारीख भी बतायी गयी है, जब प्रथम बार उसके साथ प्रार्थी द्वारा जबरन बलात्कार किया गया एवं उसके बाद बार–बार किया गया।

21. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी के विरूद्ध धमकी देने के एवं साक्ष्यों से छेड़–छाड़ करने के गंभीर आरोप हैं। प्रार्थी पर यह भी आरोप है कि प्रार्थी की सास एक राजनैतिक दल की सदस्य है, जिनके द्वारा विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, उनके द्वारा पूरे दो दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी गयी। पीड़िता थाने पर बैठी रही, उसे बार–बार राजीनामा एवं मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये यह सभी आरोप प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का समर्थन नहीं करते हैं।

22. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं तर्कों के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि प्रार्थी अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंतरिम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

23. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

रवि बिष्ट

(रविन्द्र मैठाणी, जे0)
22.07.2022